

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्  
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
कहैया लाल एस०बी०एम० इंटर कॉलेज  
नकरन्द नगर कनौज।

पत्रांक: माठशी०प०/ थी०का०इ०/ मान्यता/ १२८

दिनांक ३०-०५-२०१४

विषय: इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं समाजति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्थुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-एक(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बलिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष-2020 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निन्मलिखित वर्ग/विषयों में सानान्द व विशेष प्रतिवर्णों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा-एक(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है—

#### सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा एक(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, सार्ज-सञ्ज्ञा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभृत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निंगत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधित लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्थात् समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित चूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कर्त्तव्य पर लाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाधार्य/प्रधानाधार्यों की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं बहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-एक(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होगे। इस नियमित कोई अनुदान देय नहीं होगा।

### विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गालत अथवा निश्चय पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर 'दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) शोकणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रतिबन्ध प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शोकणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रतिबन्ध कर ली जायेगी।
- (ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि ₹० 5,000/- (₹० 5,000/- एवं 3000/- प्रति वर्षा/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय नियोजक के पद नाम से बंधक कराकर प्रमाण नियोजक के माध्यम से भेजें।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बंगाल ००५० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ०५ अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक ०६.११.२०१२ के विरुद्ध मान० उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विलयरी-फिकेशन अलीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

### प्रदत्त मान्यता का विवरण

<u>संगी</u>	<u>अनिवार्य विषय</u>	<u>वैकालिक विषय</u>
<u>इण्टर कृषि अंति वर्ग</u>	<u>हिन्दी</u>	<u>विदरण पक्किका अनुसार</u>

टिप्पणी-

इस पत्र में अंकित सम्मिलित सामान्य एवं विशेष प्रतिवर्षों की पूर्ति ६(छ.) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण नियोजक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भागदीय,

देशीय संस्कृत,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

दिनांक 20

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- जिला विद्यालय नियोजक, कर्नौल।
- संभागीय संयुक्त शिक्षा नियोजक, कानपुर।
- संभागीय उप शिक्षा नियोजक, कानपुर।
- इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
- उपसचिव, सिस्टम सेल मार्गशी०प०, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
बालाधीन छोटे लाल हाँसेठ स्कूल  
हसनपुर कल्मीज

पत्रांक: माठशिठपा० / क्ष०क०इ० / मान्यता / १२६

दिनांक ३०-०४-२०१८

विषय: सीधे (कक्षा-७ तक १०) / (कक्षा-८ से १० तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्थुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९८७ की धारा-८क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था बालादीन छोटे लाल हाँसेठ स्कूल हसनपुर कल्मीज को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-२०२० से निजलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-८क(क) के ग्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

#### सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, सोअ॒ज-सञ्जा॒ज, शिल्प सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राकृत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्तर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रेजिस्टर डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) सोअ॒ज-सञ्जा॒ज की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ प्रिष्ठद द्वारा निर्धारित चूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने चारों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने चारों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएँ संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

### विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था हारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धातंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहसित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएँ मात्र एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या—25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनान ३०प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ०५ अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय ह्वारा पारित आदेश दिनांक ०६.११.२०१२ के विकल्प मान० उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विलयपरी—फिलेशन अस्तीकेशन में पंसित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।
- टिप्पणी— इस पत्र में अकिल रमस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति ६(छ.) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भारतीय,  
क्षेत्रीय सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

दिनांक 20

पृष्ठांकन सं०मा०शि०प० /क्ष०का०इ० /मान्यता /

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— जिला विद्यालय निरीक्षक, कानूनीज।
- 2— संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर।
- 3— हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 4— सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
- 5— उपसचिव सिरस्टम सेल, मा०शि०प० मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रेषक,

क्षेत्रीय साचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
स्कॉलरीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में

प्रबन्धक,  
स्व० शशिकान्त पाण्डेय हांसो० स्कूल  
बहादुरपुर सौरिख कनौज

पत्रांक: नाठशि०प०/ क्ष०का०इ० / मान्यता/ १२७

दिनांक ३०-०५-२०१८

विषय: सीधे कक्षाएँ त १०) / (कक्षा-४ से १० तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्थुति पर सम्पत्ति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-८क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था स्व० शशिकान्त पाण्डेय हांसो० स्कूल बहादुरपुर सौरिख कनौज को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-२०२० से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वन टाइग्र) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-८क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-


#### सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षाएँ संचालित करने के एवं प्रशासन योजना, रिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जन, विक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आधिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने ज्ञातों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने ज्ञातों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएँ संचालित करने के समर्त यथा प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं बहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

## विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकारण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धाधिकार प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहसित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएँ मात्र एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या—25/2006 मजू अवधी व अन्य बनाम उम्मा राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विळङ्घ मान० उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विलयणी—फिकेशन अदीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।
- टिप्पणी— इस पत्र में अकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छ.) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,


  
 क्षेत्रीय प्रशिक्षण,  
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
  
 क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0:मा0शि0प0 / क्षे0का0इ0 / मान्यता /

दिनांक 20

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, कर्नौज।
- 2- संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर।
- 3- हाईस्पूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
- 5- उपसचिव सिस्टम सेल, मा0शि0प0 मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

  
 क्षेत्रीय सचिव,  
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
  
 क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रेषण,

क्षेत्रीय सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
राजकुमारी मेलारम हाउसो एस्कूल  
डम्भमरपुरवा अमोलर कन्नौज

पत्रांक: माठशिठपा / क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

दिनांक ३०-०५-२०११

विषय: सीधे (कक्षा-७ व ८) / (कक्षा-८ से १० तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्थुति पर समाप्ति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपकी संख्या राजकुमारी मेलारम हाउसो एस्कूल डम्भमरपुरवा अमोलर कन्नौज को शालक / बृहस्पति विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2020 से निम्नलिखित सामन्य एवं चिरोष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :-


#### सामन्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्माता होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड ड्राक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में ओकेट विषयों के अव्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने झोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने झोतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अजुदान देश नहीं होगा।

### विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था हारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धनात्मक प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी ऐक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएँ मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25 / 2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम ००३० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ०५ अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक ०६.११.२०१२ के विकल्प मान० उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विलयरी-फिकेशन अक्लीकेशन में पारित होने वाले विषय के अधीन होंगे।
- टिप्पणी- इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति ६(छ) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवनीय,

  
क्षेत्रीय सहायित्व,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

दिनांक 20

पृष्ठांकन सं०:मा०शि०प० / के०का०इ० / मान्यता /

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, कान्नौज।
- 2- संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर।
- 3- हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
- 5- उपसचिव सिस्टम सेल, मा०शि०प० मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

  
क्षेत्रीय सहायित्व,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।